सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 09/2017 अपील
दायर दिनांक– 01/03/2017
निर्णय दिनांक– 05/02/2018

1. श्री भगवान लाल पिता गोपीलाल जी दवे (ब्राहम्ण) निवासी बामनटुकड़ा तहसील व जिला राजसमंद।
2. श्री मांगीलाल पिता गोपीलाल जी दवे (ब्राहम्ण) निवासी बामनटुकड़ा तहसील व जिला राजसमंद।
3. श्री सुरेशचन्द्र पिता गोपीलाल जी दवे (ब्राहम्ण) निवासी बामनटुकड़ा तहसील व जिला राजसमंद।
4. श्री कैलाश पिता गोपीलाल जी दवे (ब्राहम्ण) निवासी बामनटुकड़ा तहसील व जिला राजसमंद।
5. मु.कसनीबाई पिता गोपीलाल जी दवे (ब्राहम्ण) निवासी बामनटुकड़ा तहसील व जिला राजसमंद।
6. श्री चुन्नीलाल उर्फ भेरुलाल पिता घासीराम जी दवे (ब्राहम्ण) निवासी 145 दवे रेस्टोरेन्ट जगदीश मन्दिर के पास उदयपुर जिला उदयपुर।
7. श्री मोहनलाल पिता घासीराम जी दवे (ब्राहम्ण) निवासी 35/1228 गणेश नगर उदयपुर, जिला उदयपुर।
8. श्री बंशीलाल पिता घासीराम जी दवे (ब्राहम्ण) निवासी 35/1228 गणेश नगर उदयपुर, जिला उदयपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री चतरभुज मुतबन्ना देवराम जी प्राकृतिक पिता भेरुलाल जी दवे (ब्राहमण) निवासी बामनटुकड़ा तहसील व जिला राजसमंद।
2. श्री शंकरलाल पिता भेरुलाल जी दवे (ब्राहमण) निवासी बामनटुकड़ा, तहसील व जिला राजसमंद हाल निवासी धरती नमकीन 3/10 उधना, उद्योग नगर सूरत (गुजराज)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमंद जिला राजसमंद।

——रेस्पोंडेन्ट्

उपस्थितः–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा —— अधिवक्ता अपीलान्ट्स
2. श्री कन्हैयालाल चोरड़िया —— अधिवक्ता रेस्पों. संख्या 1 व 2.

यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड़ अधिकारी राजसमंद दिनांक 20.02.2017 प्रकरण संख्या 330/2015..

निर्णय

दिनांक 05.02.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–76 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड़ अधिकारी राजसमंद दिनांक 20.02.2017 प्रकरण संख्या 330/2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व गग्रम करेड़ा के साबिक आराजी नम्बर 147/1, 173/7, 173/8, 173/4 एवं 173/5 से नवीन आराजी नम्बर 778, 795,796, 799 एवं 798 बने उक्त आराजीयात के पूर्वाधिकारी श्री देवराम ,भेरुलाल पिता तुलसीराम जी साकिन बामन टुकड़ा के खातेदारी आधिपत्य की थी। दौराने नवीन सैटलमेन्ट द्वारा अपीलान्ट संख्या 1 से 5 के पूर्वाधिकारी गोपीलाल पिता कनीराम जी का नाम भी दर्ज कर दिया गया। जिससे रेस्पों.संख्या 1 व 2 ने इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी राजसमंद के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी राजसमंद ने प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती का स्वीकार कर भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी की खातेदारी/सहखातेदारी के साथ गोपीलाल पिता कन्नीराम का नाम हटाये जाने का आदेश दिनांक 20.02. 2017 पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह प्रथम अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख मंगाया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई एवं लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए लिखित बहस में बताया कि रेस्पोंडेन्ट ने गलत इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जबकि वह प्रार्थना पत्र लायी नहीं होता है। दो खातेदारों के बीच खातेदारी भूमि का विवाद हो तो वह केवल घोषणा का दावा कर सकता है। किन्तु विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा गोपीलाल जी का चला आ रहा था तथा गोपीलाल जी के स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट संख्या 1 से 5 का चला आ रहा है। इस कारण रेस्पोंडेन्ट ने जानबूझकर कब्जेयाबी का व घोषणा का वाद

पेश नहीं किया, क्योंकि कब्जेयाबी का वाद 12 वर्षो बाद नहीं लाया जा सकता है। प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थीगण (रेस्पों.) किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है। धारा 136 का प्रार्थना पत्र लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 136 के अनुसार 3 वर्षो के अन्दर अन्दर पेश करना आवश्यक है, परन्तु यह प्रार्थना पत्र रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में 45 वर्षो से भी अधिक समय बाद पेश किया गया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है तथा मयाद के बिन्दु पर ही कथित प्रार्थना पत्र निरस्त कर देना चाहिये था। प्रार्थना पत्र धारा 136 लेण्ड़ रेवेन्यु एक्ट के तहत् अगर कोई रेकर्ड में क्लेरिकल मिस्टेक नजर आती है तो ही इन्द्राज दुरस्ती की जा सकती है या ऐसी कोई मिस्टेक जिसके लिए दोनों पक्ष सहमत होने पर उसे धारा 136 के तहत सुधारा जा सकता है। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी.2015 (1) पेज 10 एवं आर. आर. टी.2002 पेज 150 एवं आर.आर.टी.2002 पेज 414 के न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2017 निरस्त कराये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील रेस्पों. ने लिखित बहस में बताया कि मौजा करेड़ा तहसील राजसमंद के साबिक आराजी नम्बर 173/4, 173/7, 173/8 रेस्पोंडेन्ट के पूर्वाधिकारी देवराम, भेरुलाल पिता तुलसीराम ब्राहम्ण के खाते में दर्ज थी। किन्तु हाल सेटलमेन्ट में जो नये नम्बर 795, 796, 799 बने। उक्त भूमि के पूर्व खातेदार देवराम, भेरुलाल पिता तुलसीराम ब्राहम्ण का नाम अंकित था। किन्तु हाल में बिना किसी अदालत के आदेश के देवराम, भेरुलाल ब्राहम्ण के साथ अपीलान्ट संख्या 1 से 5 के पूर्वाधिकारी श्री गोपीलाल पिता कनीराम जी का नाम भी दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार सरकारी रेकर्ड में सेटलमेन्ट की बनने वाली हाल जमाबंदी में कोई नये नाम जोड़े जाने का आदेश किसी न्यायायल ने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदान किया है वह विधिवत् निर्णय प्रदान किया है। साबिक सेटलमेन्ट की जमाबंदी के अंकन को नयी जमाबंदी में गलत इन्द्राज किये जाने पर उक्त अंकन को दुरस्त किये जाने का प्रावधान धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम में होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत् है, जिसके विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा गलत एवं मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्ट्या निरस्त योग्य है। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी. 2008 (1) पेज 151, आर.बी.जे.1998 पेज 274, आर.आर.टी. 2013(1) पेज 391, आर.आर.टी. 2015(2) पेज 1214 एवं आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 251 के न्यायिक

दृष्टांत पेश कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त फरमाये जाने का कथन किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। मौजा करेड़ा तहसील राजसमंद के उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात पूर्वाधिकारी देवराम, भेरुलाल पिता तुलसीराम ब्राहम्ण के खाते में दर्ज थी। किन्तु हाल में बिना किसी अदालत के आदेश के देवराम, भेरुलाल ब्राहम्ण के साथ अपीलान्ट संख्या 1 से 5 के पूर्वाधिकारी श्री गोपीलाल पिता कनीराम जी का नाम दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार सरकारी रेकर्ड में सेटलमेन्ट की बनने वाली हाल जमाबंदी में कोई नये नाम जोड़े जाने का आदेश किसी न्यायायल ने नहीं दिया। ना हि सक्षम न्यायालय का कोई विधि सम्मत आदेश का हवाला दिया गया है। सेटलमेन्ट अधिकारियों को इस तरह के कोई अधिकार नहीं है कि वे बिना किसी सक्षम स्वीकृति के राजस्व रिकार्ड मे फेर बदल कर सके। रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत खसरा परिशोधन के अवलोकन से भी यह कहीं स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त वसीयतनामें के आधार पर कन्नीराम पिता गंगाराम का नाम दर्ज कर दिया गया हो। श्री देवराम द्वारा वसीयत दिनांक 05.11.1962 को श्री कनीराम के नाम पर निष्पादित की गई थी तथा देवराम की मृत्यु दिनांक 17.05.1972 को हो चुकी थी। तत्पश्चात् श्री कनीराम पिता गंगाराम जी की मृत्यु होना जाहिर है। जब वसीयत द्वारा श्री कनीराम के नाम पर नामान्तरकरण ही दर्ज नहीं हुआ तो विरासत से श्री गोपीलाल पिता कनीराम के नाम पर दौराने सैटलमेन्ट नामान्तरकरण दर्ज किया गया है वह वसीयत ग्रहिता की मृत्यु पश्चात् दर्ज किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। जब वसीयत ग्रहिता के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज ही नहीं हुई तो दौराने सैटलमेन्ट विरासत से श्री गोपीलाल पिता कनीराम के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाना विधि विपरीत होना प्रतीत होता है। भू–प्रबन्धक विभाग बिना सक्षम आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज परिवर्तन का अधिकारी नहीं है। अपीलार्थीगण यदि वसीयत के आधार पर कथित भूमि अपने नाम दर्ज कराना चाहते है तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर करा दाद प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों का गहन अन्वेषण कर निर्णय पारित किया गया है जो पूर्णतया विधि सम्मत है। उपरोक्तं तथ्यों के आधार एवं परिक्षण उपरान्त हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2017 यथावत रखा जाता है। अपीलार्थीगण यदि वसीयत के आधार पर कथित भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर करा दाद प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर